प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,अमेठी।

सेवा में,

उपनिदेशक,
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंत्रांक 450 / जि0पं0 / 2024-25 दिनांकः- 10.12.2024

विषयः- जिला पंचायत,अमेठी में लागू/प्रभावी लाइसेंस उपविधि की सत्यापित सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में शासन द्वारा समस्त जिला पंचायतों से उनके यहाँ लागू/प्रभावी लाइसेंस उपविधि की सत्यापित सूची चाही गयी है।

तत्क्रम में जिला पंचायत, अमेठी में लागू/प्रभावी लाइसेंस उपविधि की सत्यापित सूची पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया अवगत होते हुये प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

10/12/2024

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,अमेठी

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 30 मार्च, 2013 ई० (चैत्र 9, 1935 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

16 मार्च, 2013 ई०

सं० स्था०नि०सह०/इ०नो०स-2(11-12)/1102-30080 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, अमेठी ने जनपद अमेठी के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें, व्यापारियों, दुकानदारों, फर्म, कारखाना मालिक आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपविधियां निर्मित की है, जिसकी पुष्टि की जाती है एवं उपविधि धारा 242 की उपधारा (2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से लागू होगी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, अमेठी ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएं, व्यापारियों/दुकानदारों/फर्म/कारखाना मालिक आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपविधियां बनाई जाती हैं। सर्वसाधारण से सुझाव/आपत्ति प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर आमंत्रित की जाती है तथा उसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। उपविधि की पुष्टि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत की जाती है। उपविधियां सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

उपविधियां

1-कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएं, व्यापारियों/दुकानदारों/फर्म/कारखाना मालिक आदि जनपद अमेठी के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय/व्यापार बिना जिला पंचायत, अमेठी से लाइसेन्स प्राप्त किये न स्वयं करेगा, न करायेगा।

2-इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला लाइसेन्स/अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा।

(1) लाइसेन्स का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और न ही अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् वे पुनः जारी किये जा सकेंगे।

(2) लाइसेन्स नियत शुल्क भुगतान करने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे।

॥ ह ॥

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-अमेठी

(3) लाइसेन्स एकल व्यवसाय का ही जारी किया जायेगा।

(4) लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यवसायी को व्यवसाय का पूरा विवरण नोटरी हलफनामा के साथ देना होगा।

(5) प्रत्येक लाइसेन्सदार को अपनी दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगाना होगा, जिस पर दुकान, दुकानदार तथा व्यवसाय का नाम स्पष्ट रूप में लिखा होगा।

3–जिला पंचायत अमेठी के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत करने पर कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, लाइसेन्सिंग अधिकारी होंगे, जिनको इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स देने, बदलने/समाप्त करने, निलम्बित करने, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने, वापस लेने तथा सुलह करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4–इन उपविधियों का उल्लंघन करने के उपरान्त चलाये गये मुकदमों के दौरान लाइसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत सुलहनामा शुल्क के रूप में लाइसेन्स अधिकारी समझौता कर सकेंगे। सुलहनामा शुल्क, लाइसेन्स शुल्क व विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त होगा।

5–लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत को 30 दिन के अन्दर अपील का जा सकती है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

6–लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

7–लाइसेन्स प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण करने का आवेदन निर्धारित रूप पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा करने पर पंचायत कार्यालय से प्राप्त होगा। इसका मूल्य रु० 10.00 तथा नवीनीकरण हेतु रु० 10.00 प्रति आवेदन-पत्र होगा।

8–लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र, कार्य प्रारम्भ करने से एक माह पूर्व जिला पंचायत कार्यालय, अमेठी में किया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हों तो पूर्व लाइसेन्स की तिथि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9–खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकानदार के लिये ऐसी धातु का बर्तन का प्रयोग किया जाये जो खाद्य को दूषित न करते हो तथा बनाया गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो। पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट न हो।

10–इन उपविधियों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती लाइसेन्स को 30 अप्रैल तक नवीनीकरण कराना होगा। इसके उपरान्त लाइसेन्स बनवाने पर प्रतिमाह 25 रुपये की दर से विलम्ब शुल्क जमा कर 30 जून तक एवं 30 जून के बाद 50 रुपये प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।

11–अवयस्क (नाबालिग), किसी छूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लाइसेन्स नहीं जारी किया जायेगा।

12–कारखाना मालिकों/पेट्रोल पम्प मालिकों/बड़े व्यवसाइयों को जिला पंचायत, अमेठी का लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13–कारखाना मालिकों/पेट्रोल पम्प मालिकों/बड़े व्यवसाइयों को अपने फर्म में साफ सफाई एवं अग्निरोधक यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।

14–नाबालिगों को काम कराने पर लाइसेंस निरस्त कर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

15–लाइसेन्स शुल्क निम्नवत् होगा–

क्र०सं०	व्यवसाय का नाम	लाइसेन्स शुल्क की दर
1	2	3
1	रेडीमेड कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़े की छोटी/फुटकर दुकान	50
2	रेडीमेड कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़े की बड़ी/थोक दुकान	200.00
3	परचून खाद्य सामग्री की दुकान	500.00
4	मीट की दुकान	250.00
5	होटल या ढाबा	250.00
6	चाय या चाट की दुकान	800.00
7	इमारती लोहे की दुकान	150.00
8	इमारती लकड़ी फर्नीचर आदि बनाने का व्यवसाय की दुकान	500.00
		200.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमेठी

1	2	3	4
9	चमड़ा, प्लास्टिक आदि जूता चप्पल की दुकान	60	
10	गल्ला का व्यवसाय की फुटकर दुकान	200.00	
11	गल्ला के व्यवसाय की आढ़त	100.00	
12	पीतल, करकुट, गिलट, स्टील, एल्युमिनियम के बर्तनों की दुकान	250.00	
13	लोहे के बर्तन, औजार की दुकान	250.00	
14	सोना चांदी के आभूषण की दुकान	150.00	
15	लोहे, गिलट, करकुट के आभूषण व घुंघरू रस्सी की दुकान	300.00	
16	स्टेशनरी की दुकान	100.00	
17	दरी, कम्बल, कालीन की दुकान	200.00	
18	देशी कम्बरी, टाट पट्टी, हथकरघा कपड़े की दुकान	200.00	
19	लकड़ी की टाल या कोयले की दुकान	100.00	
20	पेट्रोल, डीजल पम्प	250.00	
21	नई साइकिल विक्रय की दुकान	3,000.00	
		500.00	
22	साइकिल मरम्मत व्यवसाय या फुटकर पुर्जों की दुकान	150.00	
23	बिसातखाना, चूड़ी, कंघी, क्राकरी, ताला, चाकू, जनरल स्टोर तथा प्लास्टिक के अन्य सामान	200.00	
24	क्राकरी, जनरल स्टोर तथा प्लास्टिक के अन्य सजावटी सामान	200.00	
25	सिंचाई इंजन, कृषि मशीनों तथा चारा मशीन तथा उनके पुर्जे व पार्ट विक्रय	500.00	
26	बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू की दुकान	100.00	
27	घड़ी साज / मोबाइल की दुकान	300.00	
28	घड़ी साज / मोबाइल की मरम्मत की दुकान	200.00	
29	रेडियो, लाउडस्पीकर, बिजली के सामान के विक्रय तथा मरम्मत की दुकान	200.00	
30	हेयर कटिंग	100.00	
31	टेलरिंग का व्यवसाय की दुकान	100.00	
32	किरोसीन, डीजल, आयल तथा मोबिल आयल विक्रय की दुकान	500.00	
33	हैवी लाइट व्हीकिल्स, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल के टायर, कल पुर्जों की दुकान	300.00	
34	वस्त्र रंगाई व छपाई की दुकान	100.00	
35	खोया उत्पादक	100.00	
36	खोया विक्रेता	100.00	
37	गुड़, लाई, मूंगफली, गट्टा, खिलौना बिस्कुट व पट्टी की दुकान	100.00	
38	देशी वनस्पति घी तथा कड़ुवे तेल व अन्य खाद्य तेलों के विक्रय की दुकान	200.00	
39	बेंत, बांस बल्ली, लट्ठा व लाठी की दुकानें	100.00	
40	साग सब्जी भाजी तथा फल की दुकान	50.00	
		100.00	
41	दूध विक्रय व व्यवसाय के लिए	500.00	

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमेठी

1	2	3
		रु0
43	बालू, सीमेन्ट, मोरंग, चूना, सुर्खीघार, मिट्टी, पेंट की दुकान	500.00
44	मेडिकल स्टोर / मेडिकल प्रेक्टिशनर	600.00
45	खाद की दुकान	350.00
46	इलेक्ट्रोस्टेट / फोटोस्टेट	200.00
47	पी०सी०ओ०	200.00
48	टेपरिकार्डर / टी०वी० आदि इले० सामान	300.00
49	मोटर साइकिल / स्कूटर मरम्मत की दुकान	100.00
50	ट्रैक्टर / जीप, कार, ट्रक आदि की मरम्मत की दुकान	150.00
51	टायर ट्यूब पंचर / हवा की दुकान	50.00
52	कबाड़ी की दुकान	350.00
53	इन्जीनियरिंग वर्क्स	250.00
54	इलेक्ट्रिक वेल्डिंग	260.00
55	गैस वेल्डिंग	100.00
56	कृषि बीज तथा दवा की दुकान	150.00
57	गैस एजेन्सी	1,500.00
58	कृषि बीज तथा दवा की दुकान	250.00
59	सीमेन्ट जाली, पाइप आदि की दुकान	350.00
60	लोहे के सामान ट्राली, थ्रेशर आदि	800.00
61	नाल बोरिंग की दुकान	500.00
62	बैट्री मरम्मत चार्जर / बिक्री की दुकान	100.00
63	मिट्टी के तेल / फुटकर डीजल की दुकान	250.00
64	सरकारी गल्ले, कोटा आदि की दुकान	600.00
65	ठेका देशी शराब / विदेशी शराब / भांग--	
	देशी शराब	750.00
	विदेशी शराब	1,000.00
	बीयर	1,000.00
	भांग	100.00
66	गेस्ट हाउस	1,000.00
67	लाइट हाउस एवं साउण्ड सर्विस	500.00
68	फोटो स्टूडियो / फोटो फ्रेमिंग	200.00
69	हलवाई की दुकान	100.00
70	पेय पदार्थ लस्सी / शर्बत / कोल्ड ड्रिंक आदि	150.00
71	[illegible] बीड़ी आदि निर्माता / विक्रेता	300.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमेठी

1	2	3
		60
72	डेन्टिंग एवं पेन्टिंग की दुकान	300.00
73	आतिशबाजी विक्रेता / निर्माता	300.00
74	तम्बाकू की दुकान	100.00
75	सिनेमा अस्थायी	1,000.00
76	सिनेमा स्थायी	1,500.00
77	सिनेमा फिटिंग	100.00
78	भूसा व चारा	50.00
79	बैण्ड बाजा / डी० जे०	350.00
80	कुल्फी, बर्फ, आइसक्रीम की फुटकर दुकान	100.00
81	पोल्ट्री फार्म	350.00
82	डेरी फार्म	500.00
83	नर्सरी फार्म	250.00
84	आटा चक्की	200.00
85	आरा मशीन	1,500.00
86	धान मशीन	500.00
87	आइस कैण्डी	500.00
88	तेल मशीन / स्पेलर	500.00
89	रुई मशीन	250.00
90	दाल मशीन	2,000.00
91	मिनी राइस मिल	1,500.00
92	राइस मिल	3,000.00
93	पायरोशरर	500.00
94	कोल्ड स्टोर	2,500.00
95	बर्फ फैक्ट्री	1,500.00
96	आटा, मैदा, सूजी मिल	2,000.00
97	आइसक्रीम फैक्ट्री	1,000.00
98	आलू आढ़त	250.00
99	पीपरमेन्ट आढ़त	500.00
100	सीमेन्ट ह्यूमपाइप निर्माण कारखाना	3,000.00
101	सीमेन्ट कारखाना	5,000.00
102	सीमेन्ट चादर कारखाना	3,000.00
103	खाद कारखाना	5,000.00
104	जूता चप्पल निर्माण कारखाना	2,000.00
105	चीनी मिल	3,000.00
106	सब्जी / फल आढ़त	500.00
		750.00

जिला पंचायत अमेठी

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमेठी

1	2	3
		रु०
108	मोटर साइकिल / कार व वाहन एजेंसी	750.00
109	मिनरल वाटर फैक्ट्री	5,000.00
110	आलमारी / बक्सा कारखाना	1,500.00
111	साबुन एवं वाशिंग पाउडर कारखाना	2,000.00
112	मोमबत्ती / अगरबत्ती कारखाना	1,000.00
113	पीतल बर्तन / एल्युमिनियम बर्तन कारखाना	1,500.00
114	वजन धर्मकांटा	500.00
115	ट्रक व बस बॉडी मेकर	1,500.00
116	अचार, सिरका / मुरब्बा कारखाना	1,000.00
117	प्लास्टिक सामान कारखाना	3,500.00
118	अन्य सामग्री निर्माण कारखाना	10,000.00
119	कम्प्यूटर सामान विक्रेता	260.00
120	फूल का थोक व्यवसाय	300.00
121	अण्डा, मास, मछली, मुर्गा की दुकान	260.00
122	ब्यूटी पार्लर की दुकान	200.00
123	गुड़ का कारखाना	1,000.00
124	सीमेन्ट गमला / जाली कारखाना	3,000.00
125	ट्रैक्टर ट्राली, थ्रेसर, शटर, ग्रील बनाने का कारखाना	2,000.00
126	हाट मिक्स प्लांट	5,000.00
127	सिलाई मशीन की दुकान	500.00
128	सिलाई मशीन रिपेयरिंग की दुकान	150.00
129	सिलाई मशीन / साइकिल निर्माण का कारखाना	5,000.00
130	स्टील प्लान्ट का कारखाना	10,000.00
131	बालू, मोरम, मिट्टी, सरिया, सीमेन्ट की दुकान	800.00
132	ट्रांसपोर्टर	1,000.00
133	अन्य व्यवसाय जो इंगित न हो	1,000.00
134	मोबाइल टॉवर	5,000.00
135	खाद्य तेल / वनस्पति घी कारखाना	5,000.00
136	ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार	1,000.00

10--कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिसका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिये की गयी हो, मांगे तो देने से इंकार नहीं करेंगे।

शास्ति

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह आदेश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रुपया 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहा तो, अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि इसने अपराध करता रहा है तो रुपये 50.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड भुगतान न किया जाये तो कारागार से दण्डित किया जायेगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

संजय प्रसाद,
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमेठी

पी०एस०यू०पी०-52 हिन्दी गजट-भाग-3-2013 ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।